

क्रमांक प. 16(2)अल्प.वक्फ/2014


जयपुर, दिनांक: 25 जनवरी, 2023

:: आज्ञा ::

राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के अध्याय-2 की धारा-4 (1)(क) के अन्तर्गत जनाब हाजी महबूब दीवान चौपदार, को राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

राजस्थान मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2020 के अध्याय-2 की धारा-5(2) के अन्तर्गत अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(कृष्ण कुणाळ)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/माननीय राज्य मंत्रीगण/ माननीय अध्यक्षगण ।
5. माननीय अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर भार्फत सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
6. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
12. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त / जिला कलक्टर / जिला पुलिस अधीक्षक
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को नियमानुसार आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
16. रक्षित पत्रावली।

  
(जमील अहमद कुरैशी)  
शासन संयुक्त सचिव